

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक पं. 2(5)कार्मिक/क-2/2015

जयपुर, दिनांक: 20/11/2023

1. समस्त अति० मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स) सहित।


परिपत्र

विषय:—संविदा नियुक्तियों में रोस्टर पंजिका संधारित किये जाने के संबंध में।

कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प 17(4)कार्मिक/क-2/2014 दिनांक 11.1.2022 के द्वारा "राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना" नियम 2022 जारी किये गये हैं। इन नियमों के तहत रखे जाने वाले कार्मिकों के संबंध में राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण प्रावधान लागू होंगे। इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 12.10.2015 द्वारा भी राज्य सरकार के अधीन समस्त सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के विरुद्ध संविदा नियुक्तियों पर आरक्षण प्रावधान लागू करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

राज्य सरकार द्वारा किये गये उक्त प्रावधान के क्रम में संविदा नियुक्तियों में विभिन्न वर्गों के आरक्षण प्रतिशत को त्रुटिरहित संचालित करने के लिए कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 24.2.2020 में निर्धारित प्रारूप में रोस्टर पंजिकाओं का संधारण किया जाना है।

अतः समस्त प्रशासनिक विभागों/नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि संविदा नियुक्तियों में खुली प्रतिस्पर्धा एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु रोस्टर पंजिकाओं का संधारण अनिवार्य रूप से किया जावे।



(हेमन्त कुमार गेरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान।
2. सचिव, मा० मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव गण।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
6. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली